

**भारत गणराज्य के पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय तथा हंगरी गणराज्य के
राष्ट्रीय सांस्कृतिक दाय मंत्रालय के बीच वर्ष 2003-2006 के लिए
सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम**

भारत गणराज्य सरकार तथा हंगरी गणराज्य सरकार के बीच 1962 में किए गए सांस्कृतिक करार के अनुसरण में भारत का पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय और हंगरी का सांस्कृतिक दाय मंत्रालय वर्ष 2003-2006 के लिए निम्नलिखित सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम पर सहमत हैं :

I. कला और संस्कृति

1. भारत की ओर से इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र और हंगरी का समस्तरीय संगठन कलाओं के क्षेत्र में सहयोग करेंगे। इसके ब्यौरे राजनयिक चैनल के माध्यम से तय किए जाएंगे।
2. दोनों पक्ष निम्नलिखित किसी एक या कुछ क्षेत्रों में अध्ययन हेतु 2-3 सप्ताह की अवधि के लिए एक-एक विशेषज्ञ का आदान-प्रदान करेंगे।

कलाओं का प्रलेखन और सांस्कृतिक संसाधनों का निर्माण

- (क) प्रदर्शनकारी तथा प्लास्टिक कला के प्रलेखन के तरीके
- (ख) तालिकाकरण, सूचीकरण तथा पुस्तकालय सेवाएं।
- (ग) संसाधनों का संग्रह (दृश्य, श्रव्य तथा लिखित पाठ)
- (घ) संस्कृति तथा सांस्कृतिक दाय पर दृश्य-श्रव्य प्रस्तुतियां, वीडियो फिल्म, रेडियो तथा दूरदर्शन कार्यक्रम तैयार करना।

3. दोनों पक्ष दो सप्ताह के लिए एक-एक संग्रहाध्यक्ष/प्रदर्श अभिकल्पी/वैज्ञानिक/संरक्षक का आदान-प्रदान करेंगे जो

- (क) विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा प्रौद्योगिकी इतिहास के संग्रहालयों/केन्द्रों के प्रदर्शों, प्रदर्शनियों, शैक्षिक तथा विद्वता कार्यक्रमों तथा उनमें उपलब्ध सुविधाओं तथा एक-दूसरे के देश में उन संग्रहालयों/केन्द्रों के अभिग्रहण करने की संभावनाओं का अध्ययन करने के लिए उनका दौरा करेंगे।
- (ख) विज्ञान और प्रौद्योगिकी संग्रहालयों/केन्द्रों के विकास में दीर्घकालिक सहयोग के क्षेत्रों का पता लगाएंगे।

2. दोनों पक्ष कार्यक्रम और तकनीकी प्रशिक्षण के क्षेत्र में रेडियो/टी. वी. व्यावसायिकों का आदान-प्रदान करेंगे। ऐसा आदान-प्रदान दो सप्ताहों की अवधि के लिए परस्पर आधार पर मौजूदा सी ई पी की वैधता के दौरान एक बार किया जाएगा। प्रत्येक शिष्टमंडल में दो सदस्य हो सकते हैं।
3. दोनों पक्ष राजनैतिक, आर्थिक, संस्कृति, वैज्ञानिक और अन्य विकासात्मक पहलुओं को चित्रित करने वाले समाचारों और कार्यक्रम सामग्री का आदान-प्रदान करेंगे तथा दौरे पर आए हुए दल को कवरेज के लिए सभी सहायता भी प्रदान करेंगे।
4. दोनों पक्ष एक दूसरे के देश के फिल्म सप्ताह आयोजित करेंगे और सात दिनों की अवधि के लिए एक दूसरे के पक्ष की 2-3 फिल्मी हस्तियों का स्वागत करेंगे।
5. दोनों पक्ष अपने अन्तर्राष्ट्रीय फीचर, वृत्त-चित्र, लघु और ऐनीमेशन फिल्म समारोहों में भाग लेने के लिए एक दूसरे को आमंत्रित करेंगे।

V. विविध

1. दोनों देशों के राष्ट्रीय यूनेस्को आयोग सामान्यतः यूनेस्को के उद्देश्यों के प्रचार-प्रसार में सहयोग करेंगे तथा विशेष रूप से वे अपनी क्षमता के अंदर कार्यक्रमों/कार्यकलापों में आपसी सूझ-बूझ और सहयोग के हित में सूचना, सामग्रियों और प्रलेखन का आदान-प्रदान करेंगे।
2. दोनों पक्ष, चतुर्वर्षीय कार्यक्रम के तीसरे वर्ष के अंत में यह देखने के लिए कि क्या संशोधन, यदि कोई हो, आवश्यक हैं, के कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण पर सहमत हैं।
3. वर्तमान कार्यक्रम ऐसे अन्य अनुबंधों को कार्यान्वित करने की संभावनाओं से वंचित नहीं करता है जो मार्च, 1962 में हस्ताक्षरित सांस्कृतिक करार की विषय-वस्तु के अनुरूप है। कोई अतिरिक्त प्रस्ताव पारस्परिक विचार-विमर्श के द्वारा शामिल किया जा सकता।
4. परिशिष्ट में शामिल अनुबंध वर्तमान कार्यक्रम का एक मूलभूत भाग है।

दोनों पक्ष विश्वस्त हैं कि वर्तमान कार्यक्रम से दोनों देशों और उनकी जनता के बीच विकास मित्रता तथा सहयोग बढ़ने के साथ-साथ उनमें घनिष्टता आएगी।

- (ग) प्रदर्शनी तथा प्रदर्श आदान-प्रदान की अल्पकालिक आवश्यकताओं का पता लगाएंगे और संयुक्त रुचि के विषयों पर कार्यशाला/सेमीनार आयोजित करने की संभावनाओं का पता लगाएंगे।
- (घ) संग्रहालय सामग्रियों हेतु संरक्षण/परिरक्षण का अध्ययन करेंगे।
- (ङ.) वस्त्र कला कृतियों का संरक्षण और परिरक्षण
4. दोनों पक्ष कला और पुरातत्व के क्षेत्रों में विद्वानों और विशेषज्ञों का आदान-प्रदान करेंगे तथा साथ ही उक्त क्षेत्रों में प्रदर्शनियों का आदान-प्रदान करेंगे। इसके ब्यौरे राजनयिक चैनल के माध्यम से तय किए जाएंगे।
 5. दोनों पक्ष समकालीन कला पर प्रदर्शनी का आदान-प्रदान करेंगे जिसके साथ एक कला समीक्षक, एक कलाकार और एक संग्रहाध्यक्ष/विशेषज्ञ जाएगा। प्रदर्शनियों के आयोजन के दौरान कलाकार द्वारा कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। इसके ब्यौरे राजनयिक चैनल के माध्यम से तय किए जाएंगे।
 6. भारतीय पक्ष, हंगरी पक्ष को आमंत्रित करेगा और हंगरी पक्ष 2002-2006 में ललित कला अकादमी द्वारा आयोजित किए जाने वाले 11वें और 12वें ट्रायनले-इण्डिया में भाग लेगा। प्रदर्शों के साथ एक आयुक्त या संग्रहाध्यक्ष तथा अधिकतम दो भागीदार कलाकार जा सकते हैं। प्रदर्शनी के साथ जाने वाला आयुक्त या संग्रहाध्यक्ष अन्तर्राष्ट्रीय सेमीनार में भाग ले सकता है और भाग लेने वाले कलाकार अन्तर्राष्ट्रीय शिविर-सह-कार्यशाला में भाग ले सकते हैं जिसे ट्रायनले-इण्डिया के भाग के रूप में आयोजित किया जाता है। उक्त दौरे 15 दिन से अधिक के नहीं होंगे। इसके ब्यौरे राजनयिक चैनल के माध्यम से तय किए जाएंगे।
 7. हंगरी पक्ष भारतीय पक्ष को आमंत्रित करेगा और भारतीय पक्ष 2004 में ग्योर में आयोजित किए जाने वाली 36वीं अन्तर्राष्ट्रीय कलाकार संगोष्ठी में भाग लेगा जिसके साथ एक आयुक्त या संग्रहाध्यक्ष और 2 भागीदार कलाकार जाएंगे। संगोष्ठी में जाने वाला आयुक्त या संग्रहाध्यक्ष अन्तर्राष्ट्रीय सेमीनार में भाग ले सकता है और भागीदार कलाकार शिविर-सह-कार्यशाला और प्रदर्शनियों में भाग ले सकते हैं। यह निमन्त्रण आयुक्त/संग्रहाध्यक्ष के लिए एक सप्ताह के लिए तथा कलाकारों के लिए 3 सप्ताह के लिए है। इसके ब्यौरे राजनयिक चैनल के माध्यम से तय किए जाएंगे।
 8. दोनों पक्ष इस सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम की वैधता अवधि के दौरान एक-एक बार अपने-अपने देश में आयोजित किए जाने वाले अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले को प्रोत्साहित करेंगे और उसमें भाग लेंगे और एक-दूसरे के एक-एक प्रतिनिधि के लिए मानार्थ एक स्टाल और आतिथ्य-सत्कार (बिस्तर और नाश्ता) की व्यवस्था करेंगे।

9. दोनों पक्ष पारस्परिक आधार पर बच्चों की पुस्तकों, चित्रकलाओं तथा गुड़ियों का आदान-प्रदान करेंगे। इसके ब्यौरे राजनयिक चैनल के माध्यम से तय किए जाएंगे।
10. दोनों पक्ष एक दूसरे देश की महानतम सांस्कृतिक हस्तियों की संगत जयंतियाँ उपयुक्त तरीके से मनाएँगे। ब्यौरे राजनयिक माध्यमों से तय किए जाएँगे।
11. इस कार्यक्रम की वैधता के दौरान, भारतीय पक्ष निम्नलिखित की संभावना का पता लगाएगा:
 - (क) कोलकाता में एशियाटिक सोसायटी में क्सोमा डे कोरोस के अध्ययन कक्ष को दर्शकों के लिए स्थायी रूप से खुलने वाले स्मारक कक्ष में बदलना;
 - (ख) दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र में एक प्रभाग में एलिजाबेथ सास्स ब्रूनर और उनकी पुत्री एलिजाबेथ ब्रूनर के चित्रों की एक स्थायी प्रदर्शनी की स्थापना करना;
 - (ग) नैनीताल में एलिजाबेथ सास्स ब्रूनर की कब्र पर उपयुक्त रूप से चिन्ह लगाना, और कब्र की उपयुक्त देख-भाल के लिए उपाय करना।
 - (घ) नैनीताल में एक ब्रूनर संग्रहालय की स्थापना करना।
12. दोनों पक्ष परस्पर आधार पर हस्तशिल्प प्रदर्शनी का आदान-प्रदान करेंगे। ब्यौरे राजनयिक माध्यमों से तय किए जाएंगे।
13. दोनों पक्ष अपनी वित्तीय क्षमताओं के अनुसार प्रतिवर्ष 7-8 सदस्यों के एक सांस्कृतिक समूह का आदान-प्रदान करेंगे। ब्यौरे राजनयिक माध्यमों से तय किए जाएंगे।
14. दोनों पक्ष नृत्य, संगीत, रंगमंच, ललित कला, साहित्य, फोटोग्राफी इत्यादि के क्षेत्र में विशेषज्ञों का 14 दिनों से अनधिक अवधि के लिए परस्पर आदान-प्रदान उनके समस्थानियों के साथ व्याख्यान और प्रदर्शन के लिए करेंगे। ब्यौरे राजनयिक माध्यमों से तय किए जाएंगे।
15. भारतीय पक्ष भारत की खानाबदोश-चरागाही संस्कृति की जीवन-शैली पर एक चल प्रदर्शनी भेजने और हंगरी पक्ष उसका स्वागत करने पर विचार करेगा जिसमें व्याख्यानों देने और जीवंत निष्पादन प्रस्तुत करने के लिए एक विशेषज्ञ साथ जाएगा। प्रदर्शनी की अवधि एक माह से अधिक नहीं होगी।
16. भारतीय पक्ष जीवंत प्रदर्शन करने के लिए संगत संस्कृति से एक विद्वान अथवा एक कलाकार के साथ हंगरी के जिप्सी लोगों की कला और संस्कृति की एक प्रदर्शनी का स्वागत करने पर

विचार करेगा। प्रदर्शनी की अवधि एक माह से अधिक नहीं होगी। प्रदर्शनी के लिए सामग्री बुडापेस्ट में नृजातीय संग्रहालय से आएगी।

17. दोनों पक्ष जिप्सियों की भाषा, धर्म और कला के उद्गमों का अध्ययन करने के लिए 14 दिनों की अवधि के लिए दो अनुसंधानकर्ताओं का स्वागत करने की संभावना का पता लगाएंगे।
18. दोनों पक्ष रंगमंच के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रख्यात रंगमंच निदेशकों, शिक्षकों, डिजाइनरों इत्यादि के प्रशिक्षण को सुविधा प्रदान करेगा। प्रशिक्षण देने के अतिरिक्त विशेषज्ञों को कार्यशालाएँ आयोजित करने और प्रस्तुतियाँ करने में शामिल होना चाहिए। दोनों की अवधि एक माह होगी। ब्यौरे राजनयिक माध्यमों से तय किए जाएंगे।
19. दोनों पक्ष अपने देश के लेखकों और साहित्य के आदान-प्रदान को सहायता प्रदान करेंगे। ब्यौरे राजनयिक माध्यमों से तय किए जाएंगे।
20. दोनों पक्ष हंगरी और भारत से एक-एक प्रमुख कवि के संग्रह के अनुवाद को प्रोत्साहित करेंगे। हंगरी पक्ष हंगरी की साहित्यिक कृतियों के प्रकाशन और अनुवाद में विदेशी प्रकाशकों के लिए हंगरी में अनुवाद निधि द्वारा पेशकश की गई वित्तीय सहायता के लिए भारतीय पक्ष का ध्यान आकर्षित करता है।

II. युवा मामले और खेल


1. दोनों पक्ष खेल के क्षेत्र में अनुभवों को बाँटेंगे और विभिन्न शाखाओं में खेल दलों/प्रशिक्षकों के आदान-प्रदान की संभावनाओं का पता लगाएँगे। ब्यौरे राजनयिक माध्यमों से तय किए जाएंगे।
2. दोनों पक्षों का विश्वास है कि युवाओं द्वारा स्वयं सक्रिय रूप से भाग लेने और युवा सहयोग के संवर्धन और विशिष्ट युवा कार्यक्रमों के माध्यम से नेटवर्किंग पर बल दिया जाना चाहिए।

III. जन-संचार के माध्यम


1. दोनों पक्ष अपने रेडियो, टेलीविजन और चलचित्र संगठनों के मध्य संपर्क को प्रोत्साहित करेंगे। इस सहयोग के ब्यौरे संबंधित संगठनों के सीधे करारों में विनिर्दिष्ट किए जाने चाहिए।

5. वर्तमान कार्यक्रम इस पर हस्ताक्षर होने पर लागू होगा और 31 दिसम्बर, 2006 तक प्रवृत्त रहेगा। इसके बाद, यह तबतक अस्थायी रूप से लागू रहेगा जब तक नए कार्यक्रम पर हस्ताक्षर नहीं हो जाते।

इस कार्यक्रम पर नई दिल्ली में ०३.११.०६ (ई. सन्), तदनुसार १२ कार्तिक १९२५ (शक) हिन्दी, हंगरी और अंग्रेजी भाषा की छः-छः मूल प्रतियों, जो समान रूप से प्रामाणिक हैं, पर हस्ताक्षर किए गए। संदेह की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।



भारत गणराज्य के पर्यटन और संस्कृति
मंत्रालय की ओर से



हंगरी गणराज्य के राष्ट्रीय सांस्कृतिक दाय
मंत्रालय की ओर से

सामान्य और वित्तीय नियम

I. सामान्य प्रावधान

1. दोनों पक्ष परस्पर सहमत शर्तों पर उक्त उल्लिखित क्षेत्र में अन्य परियोजनाओं की संभावनाएँ तलाश करेंगे।
2. प्रेषक पक्ष प्रस्तावित दौरे से कम से कम तीन महीने पहले संबद्ध व्यक्तियों से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी (नाम और उपनाम, जन्मतिथि, व्यवसाय, भाषाओं का ज्ञान, दौरे के लिए सुझाव की सूची, आगमन की संभावित तिथि आदि) मेजबान पक्ष को प्रदान करेगा। मेजबान पक्ष से दौरे की स्वीकृति प्राप्त करने पर, प्रेषक पक्ष कम से कम दो सप्ताह पहले आगमन की निश्चित तिथि और परिवहन के माध्यम की सूचना देगा। मेजबान पक्ष परस्पर सहमत विशेष मामले में एक द्विभाषिया उपलब्ध कराएगा।
3. प्रेषक पक्ष मेजबान पक्ष को प्रदर्शनी शुरू होने की सहमत तारीख से कम से कम 3 महीने पहले प्रदर्शनी से संबंधित आवश्यक सभी जानकारी प्रदान करेगा। प्रदर्श उक्त तिथि से 6 सप्ताह पहले प्रदर्शनी स्थल तक पहुँच जाना चाहिए।
4. सांस्कृतिक आदान-प्रदान के अंतर्गत, सभी आदान-प्रदान के लिए दोनों पक्षों द्वारा निःशुल्क वीसा जारी किए जाएंगे।

II. वित्तीय प्रावधान

1. आकस्मिक बीमारी अथवा दुर्घटना के मामले में मेजबान पक्ष, इस कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्तियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में निःशुल्क सुरक्षित चिकित्सा देख-भाल प्रदान करेगा।
2. प्रेषक पक्ष मेजबान देश की राजधानी तक तथा वापस लौटने का यात्रा व्यय वहन करेगा।
3. मेजबान पक्ष, दौरे के सहमत कार्यक्रम के प्रावधानों के अनुसार अपने देश के भीतर यात्रा की लागत को वहन करेगा।
4. मेजबान पक्ष निम्नानुसार व्हरने की लागत को वहन करेगा :

हंगरी में

- निःशुल्क आवास व्यवस्था
- 3.000 फोरिंट्स का दैनिक भत्ता अथवा निःशुल्क भोजन और
- निःशुल्क परिवहन।

भारत में

- निःशुल्क आवास व्यवस्था
- निम्नलिखित सीमा तक निःशुल्क भोजन, :
 - (क) यदि ठहरने के प्रभारों में नाश्ता शामिल हो तो 1,000/- रु. प्रतिदिन प्रति व्यक्ति,
 - (ख) जहां ठहरने के प्रभारों में नाश्ता शामिल नहीं हो सकता है तो 1,100/- रु. प्रतिदिन प्रति व्यक्ति,
- प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 250/- रु. पॉकेट भत्ता।
- स्थानीय परिवहन यदि भारत में स्थानीय परिवहन उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो उसके स्थान पर 500/- रु. प्रतिदिन के भत्ते का भुगतान किया जाएगा।

III. शो, प्रदर्शन और समारोह

जब तक संबंधित संस्थाओं (कलात्मक एजेंसियां) द्वारा अन्यथा सहमति न हो कलात्मक आदान-प्रदान की लागत निम्न प्रकार वहन की जाएगी :

1. प्रेषक पक्ष रंगमंच उपकरणों, फिल्मों आदि के दोनों तरफ की परिवहन लागत को वहन करेगा।
2. मेजबान पक्ष शो और प्रदर्शनों के आयोजन की लागत वहन करेगा जिसमें रंगमंच उपकरणों, फिल्म आदि के आंतरिक परिवहन की लागत भी शामिल है।
3. कलाकारों की यात्रा और प्रवास की लागत वित्तीय प्रावधानों के बिन्दु संख्या 1,2,3 और 4 के अनुसार वहन की जाएगी।

IV. प्रदर्शनियों का आदान-प्रदान

जब तक संबंधित संस्थाओं के बीच अन्यथा सहमति न हो प्रदर्शनियों के आदान-प्रदान की लागत निम्न प्रकार वहन की जाएगी :

1. मेजबान देश में प्रदर्शनी के पहले स्थान तक और प्रदर्शनी के वापिसी परिवहन की लागत प्रेषक पक्ष द्वारा वहन की जाएगी। भारत के मामले में प्रदर्शनी का पहला और अंतिम स्थान नई दिल्ली, मुम्बई और कोलकाता में से कोई एक होना चाहिए।
2. मेजबान पक्ष प्रदर्शनी के आयोजन, इसकी सुरक्षा और प्रचार, विज्ञापन, सूचियों, पोस्टरों के मुद्रण आदि की लागत वहन करेगा।
3. जब प्रदर्शनी प्रेषक पक्ष के देश से बाहर हो तो इसके सभी बीमा खर्चों की लागत प्रेषक पक्ष वहन करेगा। प्रदर्शों के गुम होने या क्षतिग्रस्त होने के मामले में मेजबान पक्ष मामले से संबंधित पूर्ण दस्तावेज प्रेषक पक्ष को देगा ताकि बीमा कंपनी से क्लेम प्राप्त किया जा सके। प्रेषक पक्ष के पूर्व अनुमोदन के बिना क्षतिग्रस्त प्रदर्शों की मरम्मत नहीं की जा सकती है।
4. प्रदर्शनी के साथ एक विशेषज्ञ/संग्रहाध्यक्ष/कला समीक्षक/कलाकार आ सकता है। संग्रहाध्यक्ष की यात्रा और प्रवास की लागत वित्तीय प्रावधानों के 1,2,3 और 4 बिन्दुओं के अनुसार वहन की जाएगी।

V. पत्रिकाओं और प्रकाशनों का आदान-प्रदान

1. प्रकाशनों, पत्रिकाओं और अन्य सामग्रियों के आदान-प्रदान की सभी लागतें इस कार्यक्रम में यथा परिकल्पित प्रेषक संस्थाओं द्वारा वहन की जाएंगी।

**CULTURAL EXCHANGE PROGRAMME
BETWEEN
THE MINISTRY OF TOURISM AND
CULTURE OF THE REPUBLIC OF INDIA
AND THE
MINISTRY OF CULTURAL HERITAGE
OF THE REPUBLIC OF HUNGARY**

2003-2006

In the spirit of the Cultural Agreement signed by the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Hungary in 1962, the Ministry of Tourism and Culture of the Republic of India and the Ministry of Cultural Heritage of the Republic of Hungary have agreed on the following Cultural Exchange Programme for the years 2003-2006.

I. ART AND CULTURE

1. The Indira Gandhi National Centre for the Arts on the Indian side and the corresponding Hungarian organisation will co-operate in the field of arts. Details will be settled through diplomatic channels.

2. Both sides will exchange an expert for 2-3 weeks to study in any or some of the following fields:

Documentation of the Arts and Production of Cultural Resources:

- a) Techniques for documentation of performing and plastic art
- b) Cataloguing, indexing and library services
- c) Collection of resources (audio, visual and written texts)
- d) Preparations of audio-visual presentations, video films, Radio and TV programmes on culture, and on cultural heritage.

3. Both sides will exchange one Curator/Exhibit designer/Scientist/Conservator from each side for two weeks each to:

- a) visit museums/centres of science, technology and history of technology to study the exhibits, exhibitions, educational and academic programmes of the museums/centres, the facilities available there and the possibilities of adopting the same in the respective countries;
- b) identify long term co-operation areas in the development of science and technology museums/centres;
- c) identify short term needs for exhibition and exhibit exchange, and explore the possibilities of holding workshop/seminar on subjects/topics of common interest
- d) study conservation techniques of museum materials;
- e) study conservation & preservation of textile art objects.

4. Both sides will exchange scholars and museum experts in the fields of art and archaeology and also exchange exhibitions in the above fields. Details will be settled through diplomatic channels.
5. Both sides will exchange exhibition of contemporary art accompanied by an art critic, an artist, and a curator/expert. Workshops for one week will be conducted by the artist when exhibitions are held. Details will be settled through diplomatic channels.
6. The Indian side will invite and the Hungarian side will participate in 11th and 12th Triennale-India to be organised by Lalit Kala Akademi in the year of 2002-2006. The exhibits may be accompanied by one Commissioner or Curator and maximum two participating artists. The visiting Commissioner or Curator may take part in International Seminar and participating artists in the International Camp-cum-workshops which are also organised as part of Triennale India. The visits may not exceed 15 days. Details will be settled through diplomatic channels.
7. The Hungarian side will invite and the Indian side will participate in the 36th International Artist's Symposium in Győr in 2004 with one Commissioner or Curator and with 2 participating artists. The visiting Commissioner or Curator may take part in the International Seminar, and participating artists in the International Camp-cum-workshops and exhibitions. The invitation is for one week for the Commissioner/Curator and 3 weeks each for the artists. Details will be settled through diplomatic channels.
8. Both sides will promote the participation in an international book fair in their respective countries once during the validity of this Cultural Exchange Program providing a complimentary stall and hospitality (bed and breakfast) to one representative.
9. Both sides will exchange Children's Books, Paintings and Dolls on reciprocal basis. Details will be settled through diplomatic channels.
10. Both sides will mark in an appropriate way the relevant anniversaries of the other country's greatest cultural personalities. The details may be worked out through diplomatic channels.
11. During the validity of this Programme, the Indian side will explore the possibility of:
 - a) converting the study room of Csoma de Koros in the Asiatic Society in Kolkata to a memorial chamber permanently open to visitors;
 - b) setting up a permanent exhibition of the paintings of Elizabeth Sass Brunner and her daughter Elizabeth Brunner in a Division of the Indira Gandhi National Center for the Arts in Delhi;
 - c) properly marking the grave of Elizabeth Sass Brunner in Nainital, and taking measures to organise the proper care-taking of the grave;
 - d) setting up a Brunner Museum in Nainital.

12. Both sides will exchange handicrafts exhibition on reciprocal basis. Details will be settled through diplomatic channels.
13. Both sides will exchange according to their financial capabilities one cultural group of 7-8 members each year. Details will be settled through diplomatic channels.
14. Both sides will exchange 1-2 experts in the field of dance, music, theatre, fine arts, literature, photography, etc. for lecture and demonstration with their counterparts for a period not exceeding 14 days. Details will be settled through diplomatic channels.
15. The Indian side will consider sending and the Hungarian side will consider receiving one travelling exhibition on the life-style of a nomadic-pastoralist culture of India accompanied by an expert to give lectures and live performances. The period of exhibition will not exceed one month.
16. The Indian side will consider receiving an exhibition of arts and culture of Gypsy people of Hungary accompanied by a scholar or an artist from the relevant culture to make live presentation. The period of exhibition will not exceed one month. The material for the exhibition would come from the Museum of Ethnography in Budapest.
17. Both sides will explore the possibility of receiving for a length of 14 days a group of two researchers to study the origins of the language, religion and art of the Gypsies.
18. Both sides will facilitate the exchange of eminent theatre directors, teachers, designers, etc. to impart training in various aspects of theatre. The specialists should involve in conducting workshops and doing productions apart from imparting training. The duration of the visits will be one month. Details will be settled through diplomatic channels.
19. Both sides will facilitate the exchange of writers and literatures of their country. Details will be settled through diplomatic channels.
20. Both sides will encourage the translation of an anthology of one major poet each from Hungary and India. The Hungarian side draws the attention of the Indian side to the financial support offered by the Translation Fund in Hungary for foreign publishers in publication and translation of Hungarian literary works.

II. YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

1. Both sides will share the experiences in the field of sports and explore the possibilities of exchanging sports teams/coaches in diverse disciplines. Details will be decided through diplomatic channels.
2. Both Parties believe that emphasis should be on the active participation of young people themselves and the promotion of youth co-operation and networking through specific youth activities.

III. MASS MEDIA

1. Both sides will encourage contact between their radio, television, and film organisations. The details of this co-operation should be specified in direct agreements of the respective organisations.
2. Both sides will exchange radio/TV professionals in the field of programme and technical training. Such exchange will be done once during the validity of the present CEP on reciprocal basis for a period of two weeks. Each delegation may consist of two members.
3. Both sides will exchange news and programme materials depicting political, economic, culture, scientific and other developmental aspects and also provide all assistance to the visiting team for coverage.
4. Both sides will organise film weeks of each other's country and they will receive 2-3 film personalities of the other side for a duration of seven days.
5. Both sides will invite each other to participate in their international feature, documentary, short and animation film festivals.


IV. MISCELLANEOUS

1. The National Commission for UNESCO of the two countries will co-operate in general in promotion of the objectives of UNESCO, and in particular they will exchange information, materials and documentation in the interest of mutual understanding and co-operation in programmes/activities within their competency.
2. The two sides agree on surveying the implementation of the four-year programme at the end of the third year to see what alterations, if any, are needed.
3. The present Programme does not exclude the possibility of implementing such other stipulations which correspond to the contents of the Cultural Agreement signed in March 1962. Any additional proposal can be included by mutual consultations.
4. The stipulations included in the Appendix constitute an organic part of the present Programme.


The two sides are convinced that the implementation of the present Programme will further promote the development and deepening of friendship and co-operation between their countries and peoples.

5. The present Programme will enter into force upon its signature, and will be in force until 31 December, 2006. Thereafter, it will remain provisionally in force till a new Programme is signed.

Done and signed in New Delhi, 12th Kartika 1925 (Saka) corresponding to 03rd Nov, 2003, in two originals, each in Hindi, Hungarian and English languages each being equally authentic. In case of doubt, the English language text shall prevail.



FOR THE
MINISTRY OF TOURISM AND CULTURE
OF THE REPUBLIC OF INDIA



FOR THE
MINISTRY OF CULTURAL HERITAGE
OF THE REPUBLIC OF HUNGARY

APPENDIX

GENERAL AND FINANCIAL RULES

I. GENERAL PROVISIONS

1. Both Sides shall not rule out the possibilities of undertaking other projects in the above mentioned fields on mutually accepted terms.
2. The sending Side shall provide the receiving Side with all necessary information pertaining to the persons concerned (such as name and surname, date of birth, profession, knowledge of languages, suggested schedule for the visit, approximate date of arrival, etc.), at least three months before the proposed visit. Having received the acceptance of the visit from the receiving Side, the sending Side shall communicate the exact date of arrival and means of transport at least two weeks in advance. The receiving Side shall provide an interpreter in mutually agreed special cases.
3. The sending Side shall provide the receiving Side with all necessary information pertaining to exhibitors at least 3 months before the agreed date of opening of the exhibition. Exhibits should be delivered to the place of the exhibition 6 weeks before such a date.
4. For all exchanges under this CEP, visas will be issued gratis by both of the parties.

II. FINANCIAL PROVISIONS

1. In case of sudden illness or accident, the receiving Side will secure medical care free of charge in the national health services system to all persons arriving under this Programme.
2. The sending Side will bear the costs of travel to the capital of the receiving country and of return travel.
3. The receiving Side will bear the costs of travel on its own territory as arising from the agreed programme of the visit.
4. The receiving Side will bear the cost of stay providing:
in Hungary
 - free lodging
 - daily allowance of 3.000 forints or free board, and
 - free transportation

in India

- free lodging
- free board subject to the following limits:
 - a) Rs.1000 per head, if breakfast is included in Lodging charges
 - b) Rs.1100 per head, where the lodging charges cannot include breakfast
- out of pocket allowance: Rs.250 per day per person
- local transport: In case local transport is not provided in India, an allowance of Rs 500 per day will be paid in lieu thereof.

III. SHOWS, PERFORMANCES AND SPECTACLES

Unless otherwise agreed on by the institutions concerned, the cost of artistic exchanges will be borne as follows:

1. The sending Side will bear the cost of transport both-ways of stage equipment, films etc.
2. The receiving Side will bear the costs of organisation of shows and performances including the costs of internal transport of stage equipment, films etc.
3. The costs of travel and stay of the artists will be borne in accordance with points 1,2,3,4 of financial provisions.

IV. EXCHANGES OF EXHIBITIONS

Unless otherwise agreed upon between the institutions concerned, the costs of the exchange of exhibitions will be borne as follows:

1. The sending Side will bear the costs of transport of the exhibition to the first place of exhibition in the receiving country and on the way back. The first and the last place of the exhibition in case of India should be one of the following three: New Delhi, Mumbai, or Calcutta.
2. The receiving Side will bear the cost of organisation of exhibition, its security and publicity, advertising, printing of catalogue, poster etc.
3. The sending Side will bear all the insurance expenses of the exhibition, while it is outside its national territory. In case of losses or damage of the exhibits, the receiving Side will supply the sending Side with complete documentation referring to the case in order to secure the claims from the insurance company. The damaged exhibits cannot be repaired without prior approval of the sending Side.

4. The exhibition can be accompanied by an expert/curator/art critic/artist. The costs of travel and stay of the curator will be covered in accordance with the points 1,2,3,4 of financial provisions.

V. EXCHANGE OF MAGAZINES AND PUBLICATIONS

1. All costs of the exchange of publications, magazines and other materials as envisaged in this Programme shall be borne by the sending institutions.